न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 14 / 2025(GCMS : 2025/18)**

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25, भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय अरोड़ा

<u>बनाम</u>

1. **श्री बृजलाल गोयल** पुत्र श्री रमेश चन्द गोयल
2. **श्रीमती शर्मिला गोयल** पत्नी श्री बृजलाल गोयल

(क) फ्लैट नं. 27–बी, प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, 'एलआईजी युनिट्स' चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर–335001

(ख) प्लॉट नं0 44, गली नं. 2, ब्रह्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर – 335001

(ग) 1101, वार्ड नं. 19, रमेश कॉलोनी, श्रीगंगानगर–335001

(1) श्री बृजलाल गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द्र गोयल

मैसर्स श्री सांवरिया इलेक्ट्रीक सर्विस, दुकान नं. 4, बसन्त चौक, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रकरण को नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी एस.डी.एफ.सी. बैंक. लि. ने अप्रार्थीगण बृजलाल गोयल एवं शर्मिला गोयल द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बृजलाल गोयल की **अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. 27–बी, एल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7–ई–छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के वि[illegible] प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रेस करता है **और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती [illegible] तो उन्हें कोई आप[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:51 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 14.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण बृजलाल गोयल एवं शर्मिला गोयल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बृजलाल गोयल की **अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. 27—बी, अल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7—ई—छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर